भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2452
सोमवार, 08 जुलाई, 2019/7 आषाढ़, 1941 (शक)

शिक्षित और अशिक्षित युवा

2452. श्री जगदम्बिका पालः
श्री गौतम गंभीरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अकुशल, अर्ध-कुशल, अशिक्षित और शिक्षित युवाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या लंबे समय से रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराने के बावजूद वह रोजगार पाने में सफल नहीं हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार के समक्ष अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की चुनौती है और क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में शुरू की जाने वाली पहलों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर तथा कामगार जनसंख्या अनुपात के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे उपलब्ध सीमा तक अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख से घ): नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्टार्ट अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है, जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 08.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2452 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2017-18 (पीएलएफएस) के दौरान सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी की दर तथा कामगार जनसंख्या अनुपात के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)		कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)
		अशिक्षित	माध्यमिक एवं उससे अधिक	माध्यमिक एवं उससे अधिक
1.	आंध्र प्रदेश	0.1	14.0	47.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.4	12.5	40.2
3.	असम	1.0	13.6	42.9
4.	बिहार	3.3	10.0	35.9
5.	छत्तीसगढ़	0.2	8.6	48.8
6.	दिल्ली	2.7	12.4	43.0
7.	गोवा	1.9	15.6	48.2
8.	गुजरात	1.0	7.5	47.6
9.	हरियाणा	2.0	11.8	44.7
10.	हिमाचल प्रदेश	0.3	9.7	56.9
11.	जम्मू और कश्मीर	0.7	11.4	46.6
12.	झारखंड	1.9	13.7	39.5
13.	कर्नाटक	0.4	9.1	45.9
14.	केरल	0.2	19.8	40.1
15.	मध्य प्रदेश	0.9	8.6	46.2
16.	महाराष्ट्र	0.7	8.0	48.0
17.	मणिपुर	0.2	17.7	44.6
18.	मेघालय	1.3	5.7	50.0
19.	मिजोरम	0.0	16.0	44.1
20.	नागालैंड	0.0	30.4	34.2
21.	ओडिशा	0.6	16.1	37.8
22.	पंजाब	2.3	11.4	42.2
23.	राजस्थान	0.9	11.3	41.0
24.	सिक्किम	0.0	8.4	59.5
25.	तमिलनाडु	1.0	15.4	44.0
26.	तेलंगाना	0.4	15.3	44.0
27.	त्रिपुरा	0.3	12.2	40.3
28.	उत्तराखंड	2.6	12.9	41.0
29.	उत्तर प्रदेश	1.9	10.9	39.6
30.	पश्चिम बंगाल	0.8	9.5	41.1
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.0	26.3	49.2
32.	चंडीगढ़	0.0	12.4	46.2
33.	दादरा और नगर	0.3	0.7	69.6
34.	दमन और दीव	0.0	6.5	61.4
35.	लक्षद्वीप	0.0	26.3	47.2
36.	पुडुचेरी	3.7	14.0	38.8
	अखिल भारत	1.2	11.4	43.2

स्रोत: आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय